




#### 4-1 dj i'kkl u

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम) छत्तीसगढ़ में वैट के आरोपण, निर्धारण एवं संग्रहण को शासित करती है। वैट बहु-स्तरीय कर है एवं प्रत्येक स्तर पर मूल्य संवर्धन पर कर आरोपण एवं पूर्व स्तर पर कर अदायगी पर आगत कर छुट (आ.क.छु.) प्राप्त करने एवं आगामी विक्रय पर समायोजन करने का प्रावधान करती है। वाणिज्यिक कर से प्राप्तियों निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती है:

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (छ.मू.सं.क. अधिनियम)
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 (छ.मू.सं.क. नियम)
- केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (कें.वि.क. अधिनियम)
- केंद्रीय विक्रय कर नियम, 1956 (कें.वि.क. नियम)
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 (छ.ग.प्र.क. अधिनियम)
- राज्य शासन एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, परिपत्रों, छुटों, अधिसूचनाएँ एवं निर्देशों

वाणिज्यिक कर विभाग आयुक्त के सहायता हेतु चार अपर आयुक्त (अ.आ.), 12 उपायुक्त (उ.आ.), 26 सहायक आयुक्त (स.आ.), 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.), 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.) और 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (वा.क.नि.) अधिनियम के अधीन निर्धारित किए गए कार्य करते हैं। स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभाग में 9 उपायुक्त, 20 सहायक आयुक्त, 36 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 68 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और 95 वाणिज्यिक कर निरीक्षक कार्यरत हैं।

परिच्छेद 4-1 | अंतरिक्ष विभाग



4-2 अंतरिक्ष विभाग

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.ई.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विशेष वाहक होता है तथा समस्त नियंत्रणों का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे संगठन को यह सुनिश्चित करता है कि विनिर्दिष्ट प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई सम्मिलित है, आगत कर वापसी परीक्षण प्रणाली की लेखापरीक्षा जांच में पाया (अक्टूबर 2016) गया कि विभाग प्रमुख कार्यालय में चार चार्टर्ड एकाउन्टेंट कार्यरत हैं, जो आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा जांच की गई प्रकरणों की संख्या एवं प्रकरणों में आक्षेप ली गई साथ ही विभाग द्वारा उन प्रकरणों पर की गई कार्यवाही के संबंध में लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया।

अंतरिक्ष विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.ई.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विशेष वाहक होता है तथा समस्त नियंत्रणों का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे संगठन को यह सुनिश्चित करता है कि विनिर्दिष्ट प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

4-3 अंतरिक्ष विभाग

कुल 53 ईकाइयों में से 35 ईकाइयों के मूल्य संचयित कर/विक्रय कर/प्रवेश कर के निर्धारणों एवं अन्य अभिलेखों के लेखापरीक्षा के दौरान हमने कर का अवरोपण/अनारोपण, छुट/कमी का गलत प्रदाय, कर के दर का गलत अनुप्रयोग एवं अन्य अनियमितताओं पाया, जिसमें 402 प्रकरणों में राशि ₹ 131.27 करोड़ सन्निहित थे, जो कि निम्न परिच्छेद 4-1 में उल्लेखित श्रेणियों में वर्णित किये गये हैं:


रक्यदक 4-1 य[ककि जह{कक i fj . कके

₹ दजकम+ए

1-0-	जस क	दय i z d j . कका dh l a[ ; k	जक' क
1.	कर का अवरोपण/अनारोपण	164	17.71
2.	छुट/कमियों का गलत प्रदाय	115	10.61
3.	कर के दर का गलत अनुप्रयोग	28	1.82
4.	करयोग्य आवृत्त का गलत निर्धारण	23	0.62
5.	अन्य अनियमितताएँ	72	100.51
		402	131-27

विभाग द्वारा अवनिर्धारण के 61 प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 4.38 करोड़ सन्नहित थें को स्वीकार किया गया एवं चार प्रकरणों में ₹ 70.17 लाख की वसूली कर ली गई है।

चार्ट 4.2: श्रेणीवार कंडिकाओं का वर्गीकरण



कुल 35 लेखापरीक्षा किये गये ईकाइयों में, 77 प्रतिशत कंडिकाएँ अन्य अनियमितताओं से संबंधित थे, 13 प्रतिशत कर के अवरोपण/अनारोपण एवं 8 प्रतिशत छुट/कमियों का गलत प्रदाय करने से संबंधित थे।

प्रारूप कंडिकाओं को जारी किये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा एक प्रकरण में राशि ₹ 3.39 लाख की वसूली कर ली गई है।

कुछ प्रमुख प्रकरणों जिसमें वित्तीय प्रभाव राशि ₹ 14.03 करोड़ सन्नहित है उनका व्याख्या आगामी कंडिकाओं में वर्णन किया गया है।

ew; / of/kr dj

4-4 vkxr dj Nw vk-d-Nq dk xyr ink;

fu/kkZ .k vf/kdkfj; kfu-v-½ }kjk jkf'k ₹ 97-93 yk[k dk vk-d-Nq dk ink; fd;k x;k tks fd fu;eka ,oa iko/kkuka ds vuq i ugha FkkA ifj.kkeLo: i jkf'k ₹ 13-47 yk[k dk xyr@vf/kd vk-d-Nq ink; gqvkA l kFk gh 'kkfLr jkf'k ₹ 1-74 yk[k Hkh vkjksi .kh; FkkA

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के धारा 13(1)(ब) सहपठित छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 9 के अनुसार जब कोई पंजीकृत व्यवसायी अनुसूची III में माल से भिन्न कोई माल जो कि अनुसूची-II के भाग I, II, तथा VI में विनिर्दिष्ट है राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यवसायी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे माल का अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी माल के राज्य में विनिर्माण के लिए उपभोग कर या उपभोग के लिये राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल विक्रय करता है तो उसे आगत कर प्रदाय किया जायगा। आगे आयुक्त वाणिज्यिक कर, रायपुर द्वारा जारी परिपत्र (सितम्बर 2013) अनुसार व्यवसायी द्वारा क्रेडिट नोट के माध्यम से प्राप्त राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं होगी यदि व्यवसायी विभाग द्वारा वांछित घोषणा पत्र जमा कर देता है। वांछित घोषणा पत्र जमा नहीं करने कि स्थिति में प्राप्त छुट को विक्रय मूल्य में शामिल किया जायगा।

• दो वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालयों<sup>1</sup> में कुल 2,289 कर निर्धारण प्रकरणों में से 1,254 निर्धारण प्रकरणों के नमूना जाँच (अक्टूबर 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) में हमने पाया की आठ व्यवसायी जिनका निर्धारण (मार्च 2012 एवं फरवरी 2015 के मध्य) किया गया उन्हे 2008-09 एवं 2013-14 के मध्य राशि ₹ 11.46 करोड़ का क्रय पर ₹ 90.93 लाख का आगत कर छुट प्रदाय किया गया। इन प्रकरणों में व्यवसायियों द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेंट के प्रतिवेदन के विरुद्ध अपने वार्षिक विवरणी में क्रयों को अधिक दर्शाकर राशि ₹ 6.47 लाख का अधिक आगत कर छुट लिया गया, जिसका विवरण *ifj'k"V 4-1* में दर्शाया गया है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि सात प्रकरणों में व्यवसायियों द्वारा अधिक आ.क.छु. दावों पर कर की राशि ₹ 5.16 लाख एवं शास्ति ₹ 1.74 लाख का आरोपण कर दिया गया है। एक अन्य प्रकरण में शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि व्यवसायी द्वारा लिया गया आगत कर की छुट सत्य है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जो व्यवसायी क्रय पर नगद छुट प्राप्त किया है उसे आयुक्त के निर्देशानुसार (सितम्बर 2013) वांछित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना था, जो कि कर निर्धारण के वक्त नहीं प्रस्तुत किया गया।

• आगे वा.क.अ.- वृत्त IV, रायपुर के 1,181 प्रकरणों में से 673 प्रकरणों के नमूना जाँच में हमने पाया (अक्टूबर 2015) कि एक व्यवसायी वर्ष 2010-11 में किये गये क्रयों पर ₹ सात लाख का आगत कर का छुट प्राप्त किया। परन्तु वर्ष 2010-11 के वार्षिक विवरणी (फार्म 18) के अनुसार व्यवसायी का आवृत्त निरंक था एवं क्रय किये गये मालों पूंजीगत प्रकृति के थे एवं निर्माण कार्य में उपयोग हेतु किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण की जाँच किये बिना ₹ सात लाख का आगत कर छुट प्रदान कर दिया गया।

<sup>1</sup> वा.क.अ.-II, रायपुर एवं वा.क.अ. II, रायगढ़

हमारे द्वारा इंगित (मई 2016) किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2016) में कहा कि प्रकरण अधिनियम के धारा 22(1) में पुनः खोलकर कर निर्धारण किया जाएगा।

#### 4-5 dj dk vojksi .k

ewl ad- dk vYi nj vuq; kx fd; s tkus l s jkf'k ₹ 67-43 yk[k dk dj dk de vkjksi .k gqvkA l kFk gh 'kkfLRk ₹ 43-72 yk[k Hkh vkjksi .kh; Fkka

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम के अनुसूची II के भाग IV के प्रविष्ट 1 अनुसार समस्त माल जो कि अनुसूची II के भाग I, II एवं III में सम्मिलित नहीं है उसका करारोपण दिसम्बर 2009 तक 12.5 प्रतिशत एवं उसके उपरान्त 14 प्रतिशत दर से किया जावेगा। मल्टीमिडिया स्पिकर, डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.), सेट-टॉप बाक्स, खेल परिधान एवं पका हुआ भोज्य पदार्थ अवशिष्ट प्रविष्ट के अंतर्गत है। आगे पेट्रोल एवं डीजल अनुसूची II के भाग III की वस्तु होने के कारण इस पर मई 2009 तक 22 प्रतिशत की दर से तथा उसके पश्चात् 25 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था।

कुल 10,568 व्यवसायियों में से 5,372 प्रकरणों के नमूना जाँच में हमने पाया कि (नवम्बर 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) का निर्धारण अधिकारियों द्वारा 10 प्रकरणों में कुल आवृत्त ₹ 7.92 करोड़ में वैट का कम दर लागू करने के कारण कर राशि ₹ 67.43 लाख का कम आरोपण हुआ। साथ ही शास्ति ₹ 43.72 लाख भी वसूलनीय थी, जिसका विवरण rkfydk 4-2 में दर्शित है:

rkfydk 4-2% dj ds vojksi .k dk fooj .k

I - Ø	bdkb/ dk uke	dj fu/kkj .k o"kl %ekg , oa o"kl	ys[kki jh{k i k.k
1.	वा.क.अ.-I, रायपुर	2011-12 (मई 2014)	एक व्यवसायी जो खेलकुद परिधान एवं संगीत यंत्रों का व्यापार करता है, वर्ष 2011-12 के निर्धारण वर्ष में ₹ 1.26 करोड़ का खेलकुद परिधान, जो कि 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है का विक्रय किया। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे रेडीमेड कपड़ा मानकर, पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 11.35 लाख का कर अवरोपण हुआ। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि अनुसूची में "खेलकुद परिधान" की कोई भी प्रविष्टि नहीं होने के कारण इसकी प्रविष्टि "रेडिमेड गारमेंट" में किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 के अनुसूची के प्रविष्टि 106 "खेलकुद सामग्री परिधान एवं जूते/चप्पल छोड़कर" स्वयंमव संपुष्टि करता है कि खेलकुद परिधान अवशिष्ट प्रविष्टि में शामिल होगा।
2.	स.आ.वा.क, मुख्यालय (श्रीमती भावना अली), रायपुर	2009-10 (जनवरी 2014)	पेट्रोल एवं डीजल के विक्रय पर कर की दर मई 2009 तक 22 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् 25 प्रतिशत था। हमने एक व्यवसायी, जो कि पेट्रोल डीजल का क्रय विक्रय करता था, त्रैमासिक विवरणी में पाया गया कि माह अप्रैल एवं मई 2009 के मध्य ₹ 1.44 करोड़ के विक्रय पर 22 प्रतिशत की दर से ₹ 31.71 लाख का कर का भुगतान किया। परन्तु निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माह अप्रैल एवं मई 2009 में ₹ 3.47 करोड़ का आवृत्त निर्धारण किया। व्यवसायी के त्रैमासिक विवरणी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ₹ 2.03

			करोड़ (₹ 3.47 करोड़ – ₹ 1.44 करोड़) अवधि मई 2009 के पश्चात् संबंधित थे। निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत आवृत्त का निर्धारण कर 22 प्रतिशत की दर से ₹ 62.65 लाख का आरोपण किया। परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरणी का जांच न करने के कारण ₹ 2.03 करोड़ के अधिक आवृत्त पर तीन प्रतिशत (25 प्रतिशत-22 प्रतिशत) की दर से ₹ 6.09 लाख कर का कम आरोपण हुआ। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने तथ्य को स्वीकारते (अक्टूबर 2016) हुए कहा कि कर की राशि ₹ 6.09 लाख की मांग जारी कर दी गई है।
3.	वा.क.अ.-V, रायपुर	2010-11 (स्व कर निर्धारण )	एक व्यवसायी जो इलेक्ट्रॉनिक माल जैसे मल्टीमिडिया स्पिकर, टेलीविजन, रेफरीजेरेटर इत्यादि का व्यापार करता था एवं विक्रय ₹ 1.32 करोड़ पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 6.59 लाख का कर का भुगतान किया। सी फार्म के अग्रेतर जांच में पाया गया कि व्यवसायी द्वारा मल्टीमिडिया स्पिकर, डी.वी.डी. प्लेयर जो कि अनुसूची II के अवशिष्ट माल है पर 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। जबकि व्यवसायी द्वारा अपने विवरणी पर 14 प्रतिशत की दर से न कर पाँच प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 11.88 लाख का कम वैट आरोपण हुआ। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि प्रकरण धारा 22(1) में पुनः खोला जायगा।
4.	वा.क.अ.- I, जगदलपुर	2008-09 (अप्रैल 2012) 2009-10 एवं 2010-11 (स्व कर निर्धारण)	एक व्यवसायी जो डी.टी.एच., सेट-टाप बाक्स का क्रय विक्रय करता था ₹ 80.53 लाख के विक्रय पर सूचना प्रौद्योगिकी माल मानकर दिसम्बर 2009 तक चार प्रतिशत की दर से तत्पश्चात् पांच प्रतिशत की दर से ₹ 3.35 लाख कर का भुगतान किया। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने स्पष्ट (जुलाई 2013) किया है कि डीटीएच एवं सेट टाप बाक्स का विक्रय अवशिष्ट माल मानते हुए दिसम्बर 2009 तक 12.5 प्रतिशत की दर से तत्पश्चात् 14 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाय। परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्देशों का पालन न करने से कर ₹ 6.88 लाख की प्राप्ति नहीं हो सकी। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि प्रकरण को पुनः खोला गया एवं वर्ष 2008-09 से 2010-11 के प्रकरणों में ₹ 6.85 लाख का कर एवं शास्ति ₹ 10.27 लाख का आरोपण किया गया।
5.	वा.क.अ.- II, रायपुर	2008-09 (जून 2013)	एक व्यवसायी जो डी.टी.एच., सेट-टाप बाक्स का क्रय विक्रय करता था उसने ₹ 1.18 करोड़ के विक्रय पर प्रतिस्थापन एवं सेवा मानते हुए कोई कर अदायगी नहीं की। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने स्पष्ट (जुलाई 2013) किया कि डीटीएच एवं सेट-टाप बाक्स का विक्रय अवशिष्ट माल मानकर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाय। परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर के निर्देशों का पालन न करने से कर ₹ 14.74 लाख का अवरोपण हुआ। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि ₹ 11.74 लाख की मांग जारी कर दी गई है।
6.	वा.क.आ.- III, बिलासपुर	2007-08 (जून 2011); 2008-09 (जून 2013) एवं	एक व्यवसायी, जो कैटरिंग, होटल एवं खाद्य पदार्थों का क्रय विक्रय करते था के तीन प्रकरणों में पका हुआ भोज्य तैयार करने हेतु ₹ 83.73 लाख का कच्चा माल क्रय किया एवं वर्ष 2007-08 से 2009-10 के मध्य ₹ 1.32 करोड़ का पका हुआ भोजन विक्रय किया। परन्तु कर

		2009-10 (जनवरी 2014)	निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे कर मुक्त मानते हुए कोई कर का आरोपण नहीं किया, जबकि पका हुआ भोजन अवशिष्ट माल होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था। परिणामस्वरूप ₹ 16.49 लाख का कर का कम आरोपण हुआ। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने तथ्य स्वीकारत हुए उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि ₹ 16.49 लाख का कर एवं ₹ 33.45 लाख की शास्ति की मांग जारी कर दी गई है।
--	--	-------------------------	--

#### 4-6 foØ; dk Nq ko l s dj dk vi opu

dj fu/kkj .k vf/kdkjh }kj dj fu/kkj .k ds iwZ 0; ol kf; ; ka ds l Ø; ogkj ka  
dk tkp ugha fd; k x; kA ftl ds QyLo: i rhu idj .kka ea jkf'k ₹ 1-11  
dj kM+ dk vi opu gqvkA l kfk gh 'kkfLr jkf'k ₹ 1-99 dj kM+ Hkh vkj ksi . kh;  
FkkA

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 के धारा 8 प्रावधानित करता है कि अनुसूची II के भाग I, II एवं III की वस्तु दिसम्बर 2009 तक 4 प्रतिशत तत्पश्चात् 5 प्रतिशत की दर से करारोपण होगा एवं ऐसे वस्तु जो अनुसूची II के भाग I, II एवं III में सम्मिलित नहीं है उसका करारोपण दिसम्बर 2009 तक 12.5 प्रतिशत तत्पश्चात् 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होगा। कील और लैमीनेट्स अवशिष्ट माल होने के कारण 12.5/14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। पेट्रोल एवं डीजल मई 2009 तक 22 प्रतिशत तत्पश्चात् 25 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जावेगा। उसी अनुसार वायर 15 अप्रैल 2011 तक 4 प्रतिशत तत्पश्चात् 5 प्रतिशत की दर से करारोपण होगा। छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 के धारा 54 (2) के अनुसार व्यवसायी कर के अलावा अपवंचित कर के तीन गुना परंतु पांच गुना से अनधिक शास्ति का भागी होगा।

दो वाणिज्यिक कर अधिकारियों एवं एक सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालयों के कुल 2,974 कर निर्धारण प्रकरणों में से 1,716 कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जाँच (अक्टूबर 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) में हमने पाया कि तीन व्यवसायियों ने ₹ 5.80 करोड़ के आवृत्त छिपाया गया, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ का कर अपवंचन हुआ। साथ ही अपवंचित कर पर शास्ति राशि ₹ 1.99 करोड़ भी वसूलनीय था, जिसका विवरण नीचे तालिका में दर्शित है:

rkfydk 4-3% foØ; dk Nq ko dk fooj .k

l -Ø-	bdkb dk uke	fu/kkj .k o"kf fu/kkj .k dk o"kl , oa ekg½	ys[ kki j h{kk i Øk .k
1	स.आ. मुख्यालय (श्रीमती भावना अली), रायपुर	2009-10 (जनवरी 2014)	एक व्यवसायी जो मोटर स्पीट (एम.एस.), हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी), मोबिल ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेन्ट्स एवं औषधि परंतु बिटुमेन का व्यवसाय नहीं करता था ने मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड से ₹ 2.58 करोड़ का बिटुमेन क्रय करना दिखाया। व्यवसायी द्वारा अपने सी.ए. प्रतिवेदन पर वर्ष 2009-10 में ₹ 2.99 करोड़ का बिटुमेन दर्शित करते हुए कर (दिसम्बर 2009 तक का ₹ 1.74 करोड़ पर चार प्रतिशत एवं उसके बाद ₹ 1.25 करोड़ पर पाँच प्रतिशत) अदायगी की। व्यवसायी द्वारा विभाग को जमा किये 'सी/एफ' फार्म (उपयोगिता प्रमाण पत्र) के पंजी का अवलोकन करने पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा एम एस एवं एच एस डी का क्रय दिखाया गया न कि बिटुमेन का।

			<p>तदनुरूप बिटुमन का क्रय बीजक वास्तविक में एम. एस. एवं एच.एस.डी. का था। अतः व्यवसायी द्वारा एम. एस. एवं एच.एस.डी. के विक्रय को बिटुमन का विक्रय दिखाकर ₹ 56.43 लाख (₹ 1.74 करोड़ का 18 प्रतिशत अंतर एवं ₹ 1.25 करोड़ का 20 प्रतिशत)। व्यवसायी द्वारा उर्पयुक्त धारा के अनुसार ₹ 1.69 करोड़ (₹ 56.43 लाख का तीन गुना) का शास्ती का उत्तरदायी है।</p> <p>बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने स्वीकार करते (अक्टूबर 2016) हुए ₹ 81.14 लाख की मांग जारी की तथा शास्ति आरोपण हेतु पृथक से आदेश निकाला जायगा।</p>
2	वा.क.अ.- IV, रायपुर	2008-09 (जून 2012) 2009-10 (अगस्त 2012) 2010-11	<p>एक व्यवसायी जो हार्ड ब्लैक वायर एवं कील का विनिर्माण एवं व्यापार करता था का अवधि 2008-09 से 2010-11 के कर निर्धारण करते हुए वायर के विक्रय ₹ 1.74 करोड़ पर 4 प्रतिशत दर से कर जमा किया, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा मान्य किया गया। उक्त अवधि के सी.ए. प्रतिवेदन की जाँच में पाया गया कि वायर से कील का निर्माण कर ₹ 1.74 करोड़ का कील विक्रय किया, जो कि 12.5/14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था। चूंकि व्यवसायी द्वारा तथ्यों को छुपा कर कील के विक्रय को वायर का विक्रय दिखाने से ₹ 15.24<sup>2</sup> लाख का कर अपवचन हुआ। साथ ही शास्ति ₹ 29.52 लाख भी आरोपणीय है।</p> <p>बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि 2009-10 एवं 2010-11 की कर की राशि ₹ 8.94 लाख एवं शास्ति ₹ 17.89 लाख की मांग की गई है। वर्ष 2008-09 के संबंध में शासन ने कोई जानकारी नहीं दी।</p>
3	व.क.अ.- VIII, रायपुर	2009-10 (स्व कर निर्धारण सितम्बर 2012)	<p>एक व्यवसायी जो लैमिनेट्स एवं प्लाईवूड का व्यवसाय करता था, ने अपने फार्म 18 (वार्षिक विवरणी) में क्रमशः ₹ 1.03 लाख पर 12.5 प्रतिशत की दर से एवं ₹ 1.08 करोड़ पर चार प्रतिशत की दर से कर भुगतान किया। आगे हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि व्यवसायी द्वारा ₹ 107.42 लाख का लैमिनेट्स प्रांत बाहर से क्रय किया जो कि 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था। व्यवसायी द्वारा लैमिनेट्स के विक्रय, जो कि 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है को 4 प्रतिशत प्लाईवुड का विक्रय दिखाने से ₹ 14.83 लाख का कर अपवचन हुआ।</p> <p>बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि 2009-10 के दौरान मई 2009 के अधिसूचना के अनुसार लेमिनेट्स का दर 4/5 प्रतिशत था तदानुसार व्यवसायी से करारोपण किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय उत्पाद टैरिफ के आईटम 4412 "डेकोरेटिव प्लाईवूड" से संबंधित है ना कि लैमिनेट्स से। अतः लैमिनेट्स पर 12.5/14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।</p>

<sup>2</sup> ₹ 1.44 करोड़ का (12.5-4) = 8.5 प्रतिशत एवं ₹ 0.30 करोड़ का (14-4) =10 प्रतिशत



dnh; foØ; dj

4-7 ?kks'k. kk i =ka ds vHkko es dnh; foØ; dj %dafo-d-½ dk fj; k; rh nj l s dj dk ekU; fd; k tkuk

fu/kkj .k vf/kdkfj; ka }kj k cx\$ ?kks'k. kk \*\*l h\*\* Qkel ij fj; k; rh nj ij dj ekU; fd; s tkus ds dkj .k dsfo-d- ₹ 64-80 yk[k dk de vkjksi .k gpkA

के.वि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8 यह प्रावधानित करता है कि घोषणा पत्र "सी" फार्म समर्थित पर अंतर्राज्यीय विक्रय पर जून 2008 से 2 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जावेगा। आगे वैधानिक फार्म के अभाव में व्यवसायी छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 में प्रावधानित दर पर कर का दायी होगा। आगे केंद्रीय विक्रय कर (पंजीकरण एवं आर्वत्त) नियम, 1957 के नियम 12 के अनुसार घोषणा पत्र "सी" या "एफ" फार्म या "ई-I" या "ई-II" फार्म संबंधित को तीन माह के अंदर, विनिदिष्ट अधिकारी को जमा करेगा जो उस घोषणा पत्र से संबंधित है। छ.ग.मू.सं.क, 2005 के धारा 21(2) स्व-कर निर्धारण प्रकरणों के निर्देश (नवम्बर 2012), के अनुसार निर्धारण प्राधिकारी वार्षिक विवरण एवं अन्य दस्तावेज स्वीकार करते वक्त संपूर्णता, समयबद्ध एवं सटीकता का प्रारंभिक जांच करेगा।

सात<sup>3</sup> ईकाइयों के कुल 15,236 निर्धारण प्रकरणों में से 9,140 प्रकरणों के नमूना जाँच (मार्च 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) में हमने देखा कि 12 व्यवसायियों के 14 प्रकरणों जिनका स्व-कर निर्धारण वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के मध्य किया गया था ने ₹ 9.77 करोड़ के अंतर्राज्यीय विक्रय का "सी" फार्म प्रस्तुत नहीं किया और के.वि.क. के अंतर्गत कर के रियायती दर का उपयोग किया। "सी" फार्म के अभाव में व्यवसायी छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 में वर्णित दर से कर का भुगतान का दायी होगा। कर निर्धारण अधिकारियों के प्रारंभिक जांच में विफल होने के कारण कर ₹ 64.80 लाख का कम आरोपण हुआ, जिसका विवरण *ifff'k"V 4-2* में वर्णित है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि 11 व्यवसायियों के प्रकरणों 22(1) में खोला गया जिसमें ₹ 3.24 करोड़ के संव्यवहार बिना 'सी' फार्म के होना पाया गया। तदनुसार ₹ 16.64 लाख की कर की राशि की मांग जारी की गई।

'सी' फार्म को मान्य किये जाने के संबंध में उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फार्म निर्धारित समय सीमा पर जमा नहीं किया गया एवं माल का विवरण दर्शाया नहीं गया तथा कुछ संलग्न भी नहीं पाये गये थे।

4-8 dsfo-d- vf/kfu; e ds vrxRk cx\$ l n\$kkfud Qkel ij i k j xeu foØ; , oa 'kk[kk v r j .k ij dj dh Nw dks ekU; fd; k tkuk

dj fu/kkj .k vf/kdkfj; ka }kj k fcuk \*\*b&I@l h\*\* , oa \*\* , Q\*\* Qkel ds ₹ 4-74 dkM+ ds dj dk Nw i nk; fd; k x; kA l kFk gh 'kkfLr ₹ 3-94 yk[k Hkh vkj ksi . kh; FkhA

कें.वि.क. अधिनियम, 1956 के धारा 6(2) अनुसार पारगमन विक्रय (माल के आवाजाही के दौरान विक्रय) में , विक्रय व्यवसायी को कर भुगतान में छुट का दावा करने हेतु ई-I/II एवं फार्म 'सी' प्रस्तुत करना होगा। आगे के.वि.क. अधिनियम के धारा 6 (अ) के अंतर्गत आढत विक्रय (शाखा अंतरण) में वैधानिक फार्म 'एफ' फार्म प्रस्तुत करने पर

<sup>3</sup> स.आ.-II, दुर्ग; स.आ.वा.क. (मुख्यालय)(श्रीमती भावना अली), रायपुर; वा.क.अ.-II, रायगढ़; वा.क.अ.-I, रायपुर; वा.क.अ.-II, रायपुर; वा.क.अ.-IV, रायपुर एवं वा.क.अ.-V, रायपुर

कर के भुगतान में छुट दिया जावेगा। ई-I/II/सी (पारगमन विक्रय) एवं फार्म 'एफ' आदत विक्रय (शाखा अंतरण) के अभाव में इन वस्तुओं पर छ.ग.मू.सं.क अधिनियम एवं के.वि.क. अधिनियम के धारा 8 में वर्णित दर से करारोपण किया जावेगा।

केंद्रीय विक्रय कर (पंजीकरण एवं आर्वत्त) नियम, 1957 के नियम 12 अनुसार घोषणा पत्र "सी" या "एफ" फार्म या "ई-I" या "ई-II" फार्म संबंधित प्राधिकारी को तीन माह के अंदर जमा किया जायेगा जो उस घोषणा पत्र से संबंधित है।

4-8-1 चार<sup>4</sup> इकाईयों के कुल 2,213 निर्धारण प्रकरणों में से 1,262 प्रकरणों के नमूना जाँच (मार्च 2015 एवं दिसम्बर 2015 के मध्य) में पाया गया कि 13 व्यवसायी द्वारा ₹ 117.08 करोड़ का 'ई-I-सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किये परन्तु पारगमन विक्रय में कर के भुगतान में छुट प्राप्त किया गया। संवैधानिक फार्म के अभाव में व्यवसायी द्वारा इन वस्तुओं पर छ.ग.मू.सं.क अधिनियम एवं के.वि.क. अधिनियम के धारा 8 में वर्णित दर से कर का दायी होगा। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी संवैधानिक फार्म को जाँच किये बिना कर का छुट प्रदाय (अगस्त 2012 एवं जूलाई 2014 के मध्य) करने से ₹ 4.70 करोड़ का कम आरोपण हुआ, जिसका विवरण *ijff'k"V 4-3* में वर्णित है।

4-8-2 दो<sup>5</sup> इकाईयों के 1,139 निर्धारण प्रकरणों में से 671 प्रकरणों के नमूना जाँच (दिसम्बर 2015) में हमने देखा कि तीन व्यवसायी ₹ 99.05 लाख के शाखा अंतरण बिना 'एफ' फार्म प्रस्तुत किये कर के भुगतान में छुट प्राप्त किया। फार्म 'एफ' के अभाव में निर्धारण अधिकारियों द्वारा छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम में वर्णित दर के अनुसार कर का आरोपण किया जाना था। परन्तु कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वैधानिक फार्म को बिना जांच किये कर में छुट प्रदाय (नवम्बर 2010 एवं सितम्बर 2012 के मध्य) किया, जिसके फलस्वरूप कर की राशि ₹ 3.96 लाख का कम आरोपण हुआ। साथ ही शास्ति ₹ 3.94 लाख भी वसूलनीय थी, जिसका विवरण *ijff'k"V 4-4* में दर्शित है।

अतः अंतर्राज्यीय संव्यवहारों में व्यवसायी को मान्य छुट से अधिक छुट प्रदान करने से कर की राशि ₹ 4.74 करोड़ एवं शास्ति ₹ 3.94 लाख का अनारोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि प्रकरण धारा 22(1) के अंतर्गत पुनः खोलकर 14 व्यवसायियों से संव्यवहार की क्रमशः राशि ₹ 31.39 करोड़ एवं ₹ 99.05 लाख के बगैर "ई-I सी" एवं "एफ" फार्म पाये गये। तदनुसार ₹ 95.61 लाख एवं शास्ति की राशि ₹ 3.94 लाख की मांग संबंधित व्यवसायियों को जारी कर दी गई है, जिसमें से तीन व्यवसायियों से ₹ 66.78 लाख की राशि वसूल कर ली गई है।

उत्तर "ई-I सी" फार्म के संबंध में मान्य नहीं है क्योंकि समर्थन में जो "सी" फार्म संलग्न किये गये थे वे निर्धारित समयसीमा पर जमा नहीं किया गया एवं माल का विवरण दर्शाया नहीं गया तथा कुछ संलग्न भी नहीं पाये गये।

<sup>4</sup> स.आ.-II, दुर्ग; स.आ.वा.क.(मुख्यालय)(श्रीमती भावना अली), रायपुर; वा.क.अ.-I, रायपुर एवं वा.क.अ.-V, रायपुर

<sup>5</sup> वा.क.अ.-I, रायपुर एवं वा.क.अ.-VIII, रायपुर

i os'k dj

4-9 dj ds xyR nj ds vuq; z; kx l s i os'k dj dk de vkjksi .k @vukjksi .k

dj fu/kkzj .k vf/kdkfj; k }kjk ekyka ds i os'k ij dj ds xyR nj ds vuq; z; kx l s i os'k dj dh jkf'k ₹ 4-22 djkm+ dk de vkjksi .k gq/kA l kfk gh 'kkfLr jkf'k ₹ 2-15 yk[k Hkh ol nyuh; FkhA

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम 1976 के धारा 3 के अनुसार व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के दौरान स्थानीय क्षेत्रों में अनुसूची II में वर्णित वस्तुओं का उपभोग या उपयोग विक्रय करने हेतु स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर प्रवेश कर का दायी होगा। आगे अनुसूची III में वर्णित वस्तुओं का उपभोग या उपयोग परंतु विक्रय नहीं करने हेतु स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का उत्तरदायी होगा।

आठ ईकाइयों<sup>6</sup> के कर निर्धारण अभिलेखों के जाँच के दौरान हमने पाया कि (जनवरी 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण विवरणियों के निर्धारण/फाईलिंग के दौरान प्रवेश कर का उचित दर नहीं लगाया गया जिसका विवरण निचे तालिका में वर्णित है:

rkyfdk 4-4% i os'k dj dk vojksi .k@vukjksi .k dk foofj .k

₹ yk[k ea ½

Lk-Ø-	bdkbz dk uke	oLrq	fu/kkzj .k o"kz %dj fu/kkzj .k , oa Lo% fu/kkzj .k dk ekg , oa o"kz	vuq; z; kx l s i os'k dj dk de vkjksi .k @vukjksi .k	Ø; eW;	vkjksi .kh; @vkj kfi r dj dh nj	dj dk de@vukjksi .k
1.	वा.क.अ.— VIII, रायपुर	कांक्रीट स्लीपर, बालास्ट, माईल्ड स्टील लाईनर्स, फिश बोल्ट एवं फिश प्लेट आदि	2009—10 (मई 2013)	III	251.00	1/0	2.51
<p>कांक्रीट स्लीपर, बालास्ट, माईल्ड स्टील लाईनर्स, फिश बोल्ट एवं फिश प्लेट आदि को रेल प्रणाली तैयार करने के लिए उपयोग किया गया। चूंकि यह वस्तु छ.ग.प्र.क. अधिनियम के अनुसूची III की वस्तु होने के कारण इस पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था। परंतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि ठेकेदार द्वारा रेल प्रणाली विकसित करने में क्रय किया गया माल कर चुका अनुसूची II की वस्तु थी एवं शेष अनुसूची III माल को सिधे प्रदायकर्ता को पहुंचाने के कारण इस पर प्रवेश कर का दायित्व नहीं आता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुसूची II के माल के संबंध में बिजकों में "प्रवेश कर चुका" अभिप्रमाणित नहीं था एवं अनुसूची III की वस्तु के बीजकों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि माल सिधे प्रदायकर्ता को पहुंचाया गया।</p>							
2.	उपायुक्त, दुर्ग	सोया कच्चा तेल	2008—09 (फरवरी 2014), 2010—11 (दिसम्बर 2014)	III	5,976.73 18,314.89	1/0	59.77 183.15
<p>व्यवसायी द्वारा छूट प्रमाण पत्र के आधार पर सोया कच्चा तेल के उपभोग पर प्रवेश कर के आरोपण पर छूट लिया गया। हमने व्यवसायी के पंजीयन प्रमाण पत्र की जाँच की और पाया कि निर्माण में कच्चे माल के रूप में सोया कच्चा</p>							

<sup>6</sup> स.आ.वा.क.—II, संभाग I, बिलासपुर, स.आ.वा.क., दुर्ग, स.आ.वा.क. (मुख्यालय), रायपुर, वा.क. अ. —II, रायपुर, वा.क.अ. —IV, रायपुर, वा.क.अ. —IV, दुर्ग, वा.क.अ.—VIII, रायपुर एवं संभागीय उपायुक्त (सं.उ.), दुर्ग

<p>तेल का वर्णन नहीं है। परंतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र के जाँच किये बगैर सोया कच्चे तेल के क्रय एवं उपयोग पर राशि ₹ 24,291.62 लाख का छुट प्रदान किया, जिस पर एक प्रतिशत की दर से राशि ₹ 242.92 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि प्रकरण धारा 22(1) के अंतर्गत खोली जाकर कार्यवाही की जावेगी।</p>							
3.	वा.क.अ.-II, रायपुर	औद्योगिक चैन	2008-09 (जून 2013)	II	215.00	1/0	2.15
<p>कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र से बाहर औद्योगिक चैन को अनुसूची III की वस्तु मानते हुए उस पर कर की छुट प्रदान की। अनुसूची II के प्रविष्ट क्र. 54 अनुसार औद्योगिक चैन 'मशिन एवं उसके पुर्जे' में सम्मिलित है। अतः औद्योगिक चैन के क्रय ₹ 215 लाख पर 1 प्रतिशत की दर से ₹ 2.15 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने स्वीकारते हुए अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि औद्योगिक चैन 'मशिनरी एवं उसके पुर्जे' में शामिल होंगे तथा उस पर ₹ 2.15 लाख का प्रवेश कर एवं ₹ 2.15 लाख की शास्ति आरोपित कर दिया गया है।</p>							
4.	स.आ.व.क.-II, संभाग-I, बिलासपुर	अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन. ए.)	2009-10 (अक्टूबर 2013)	III	1,279.00	1/0	12.79
<p>माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने आयुक्त, आयकर विरुद्ध विनब्रास एवं कंपनी (29 अक्टूबर 2007) एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा मेसर्स अजन्ता बाटलर्स एवं ब्लेंडर्स विरुद्ध आबकारी विभाग (जुलाई 2013) ने अपने निर्णय में कहा कि ई.एन.ए. मदिरा के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। छ.ग.प्र.क. अधिनियम सहपठित छ.ग.मु.सं.क. अधिनियम 2005 के अनुसार ऐसे वस्तु जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत आरोपणीय है या आरोपित है उस पर प्रवेश कर मुक्त है। अतः मदिरा आरोपणीय वस्तु है एवं ई.एन.ए. मदिरा निर्माण हेतु कच्चा माल है, जिस पर करारोपण नहीं किया जाता। व्यवसायी द्वारा अन्य स्थानीय क्षेत्रों से ई.एन.ए. क्रय किया गया जिस पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है। परंतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि ई.एन.ए. आबकारी कर युक्त माल होने के कारण यह छ.ग.प्र.क. अधिनियम 1976 के अनुसूची I के प्रविष्ट 1 की वस्तु है एवं माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा मेसर्स इंडिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड विरुद्ध उत्तराखण्ड शासन एवं अन्य में निर्णय (जनवरी 2012) में व्याख्या किया कि मदिरा के निर्माण में ई.एन.ए. कच्चा माल नहीं है, अतः इस पर प्रवेश कर आरोपणीय नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ई.एन.ए. मदिरा निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसीलिए यह अनुसूची III की वस्तु है जिस पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है।</p>							
5.	वा.क.अ.-IV, दुर्ग	लौह एवं स्टील	2007-08 (फरवरी 2011)	II	73.32	1.5/0	1.10
<p>व्यवसायी द्वारा ₹ 1.03 करोड़ का लौह एवं स्टील का क्रय किया, जिसमें से ₹ 73.32 लाख का क्रय स्थानीय क्षेत्र से बाहर किया गया। अतः 1.5 प्रतिशत की दर से ₹ 1.10 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था। परंतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संपूर्ण क्रय को कर चुका माल मानकर कर का आरोपण नहीं किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2016) कि प्रकरण को धारा 22(1) के अंतर्गत खोलकर ₹ 81.69 लाख के क्रय पर ₹ 1.23 लाख का प्रवेश कर का आरोपण किया गया।</p>							
6.	स.आ.वा.क. (मुख्यालय), (श्रीमती भावना अलि), रायपुर	मोबाईल हैंडसेट	2010-11 (अक्टूबर 2012)	II	785.00	1/0	7.85
<p>माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (2011) ने मेसर्स ड्राईव इंडिया डाट काम विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य के निर्णय में कहा कि मोबाईल हैंडसेट वायरलेस उपकरण के अंतर्गत सम्मिलित होगी। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने स्पष्ट किया (अक्टूबर 2012) कि मोबाईल हैंडसेट पर 1 प्रतिशत दर से प्रवेश कर आरोपणीय होगा। व्यवसायी द्वारा ₹ 7.85 करोड़ का मोबाइल प्रांत बाहर से आयात किया गया परंतु कोई कर का भुगतान नहीं किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने तथ्य स्वीकारते हुए अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि ₹ 7.54 लाख का प्रवेश कर की मांग जारी कर दी गई है।</p>							
7	स.आ.वा.क., दुर्ग	कंडक्टर ट्रांसफार्मर इंसुलेटर	2007-08 (जून 2011)	II	108.92 921.49 1,210.64	5/1 5/1 10/1	4.36 36.86 108.96

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 59.08 करोड़ के क्रय पर 1 प्रतिशत की दर से ₹ 59.08 लाख का प्रवेश कर का आरोपण किया। आगे हमने देखा कि व्यवसायी द्वारा सब-स्टेशन के उपयोग हेतु कंडक्टर, ट्रांसफार्मरस, इंसुलेटर्स एवं अन्य वस्तु का ₹ 22.41 करोड़ का क्रय स्थानीय क्षेत्र के बाहर से किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे छ.ग.प्र.क. अधिनियम के अनुसूची III के अंतर्गत मानते हुए इस पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का आरोपण किया गया। सितम्बर 1997 के अधिसूचना क्र. 78 एवं अप्रैल 2006 के क्र. 37 अनुसार इस वस्तुओं पर 5 एवं 10 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाना था। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि व्यवसायी "विद्युत के हस्तांतरण" कार्य एवं पारेषण लाईन के रखरखाव का कार्य करते हैं, जो निर्माण कार्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अतः एक प्रतिशत की दर से व्यवसायी से करारोपण किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी द्वारा उपकरणों का उपयोग सब-स्टेशन के निर्माण में किया। अतः सब-स्टेशनों के निर्माण कार्य अपने आप में एक निर्माण प्रक्रिया है एवं छ.ग.प्र.क. अधिनियम, 1976 के धारा 4 अ के अनुसार प्रवेश कर आरोपणीय है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार "निर्माता" के परिभाषा में ऐसे व्यक्ति जो विभिन्न वस्तुओं को समिश्रण कर एक नई वस्तु बनाता है। अतः व्यवसायी "निर्माता" की श्रेणी में आते हैं।

8.	वा.क.अ.-IV, रायपुर	औजार	2007-08 2009-10 (अगस्त 2012)	II	45.48 101.00	1.5 / 0 1.5 / 0	2.20
----	-----------------------	------	------------------------------------	----	-----------------	--------------------	------

व्यवसायी द्वारा स्थानीय क्षेत्र से बाहर औजारों का क्रय कर उसे अनुसूची III की वस्तु मानकर प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया। आगे आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा स्पष्ट (2008) किया गया कि औजार "लौह एवं स्टील" में वर्गीकृत होंगे जिस पर 1.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय होगा। अतः औजारों के क्रय पर प्रवेश कर का आरोपण होगा। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने तथ्य को स्वीकारते हुए अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि औजार के क्रय पर राशि ₹ 2.11 लाख की मांग जारी कर दी गई है।

; kx					29 282-47	421-70
------	--	--	--	--	-----------	--------

उपरोक्त तालिका स्पष्ट करता है कि कर निर्धारण अधिकारी/व्यवसायियों द्वारा प्रकरणों/विवरणियों के निर्धारण/फाईलिंग के दौरान अधिसूचना एवं अनुसूची में वर्णित प्रवेश कर का सही दर का अनुप्रयोग नहीं किया गया। अतः प्रवेश कर की राशि ₹ 4.22 करोड़ का संग्रहण/प्राप्त विभाग द्वारा नहीं किया गया। आगे ₹ 2.15 लाख का शास्ति भी आरोपणीय था।